लोक अदालत अभियान
न्याय आपके द्वार
2017

# न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

पंचायत निगरानी संख्या 29/2016

ग्राम पंचायत छोटा लाम्बा जरिये उसके सचिव

.....प्रार्थी

**बनाम**

श्री शिवप्रसाद पुत्र श्री दाउदयाल जोशी, जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम छोटा लाम्बा थाना व तहसील अरांई जिला अजमेर।

.....अप्रार्थी

**प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 97**
**राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1996**

**उपस्थित :–**

श्री अविनाश शर्मा, वकील निगरानीकार की ओर से।

## –: आदेश :–

**दिनांक 25.05.2017**

वर्तमान में अजमेर जिले में राजस्व अभियान "न्याय आपके द्वार 2017" का आयोजन किया जा रहा है जिसके तहत प्रकरण प्रस्तुत हुआ। संक्षेप में निगरानी के तथ्य इस प्रकार से है कि तत्कालीन प्रशासक श्री धन्नालाल जोशी द्वारा मिसल संख्या 14 दायर दिनांक 01.10.1990 निर्मित कर श्री शिवप्रसाद जोशी पुत्र श्री दाउदयाल जोशी निवासी ग्राम छोटा लाम्बा के पक्ष में बाद विधिवत कार्यवाही के ग्राम छोटा लाम्बा स्थित खसरा नम्बर 1865/2 में से 11859 वर्गगज भूमि का विक्रय विलेख पट्टा संख्या 10 दिनांक 13.05.1993 जारी कर दिया। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी के पक्ष में जारी किए गये आक्षेपीय पट्टे को विभिन्न कारणों से विधि विरूद्व बताते हुए पट्टा निरस्त करने हेतु यह प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र के पेश होने पर निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी के नाम नोटिस जारी किया गया व अधिनस्थ न्यायालय का वांछित रेकार्ड मंगवाये जाने हेतु मांग पत्र जारी किया गया। अप्रार्थी जरिये वकील उपस्थित हुए तथा जवाब नोटिस पेश किया। ग्राम सेवक पदेन सचिव ग्राम पंचायत के कार्यालय में आक्षेपीय पट्टे से संबंधित रेकार्ड उपलब्ध नहीं होने बाबत् विकास अधिकारी पंचायत समिति अंराई द्वारा अवगत करवाये जाने के पश्चात् ग्राम सेवक द्वारा आक्षेपीय पट्टा, जिला कलक्टर अजमेर के संशोधित आदेश क्रमांक 50 दिनांक 21.07.2003, जिला कलक्टर अजमेर के आदेश क्रमांक 243 दिनांक 20.06.2002, नजरी नक्शा श्रीमान् सिविल न्यायाधीश (क.ख.) किशनगढ़ के दीवानी वाद संख्या 146/2004 में पारित निर्णय दिनांक 04.03.2008 की छायाप्रतियां प्रस्तुत की गई। तत्पश्चात् पत्रावली बहस हेतु निश्चित की गई।

वरवक्त बहस वकील अप्रार्थी के अनुपस्थित रहने पर वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में उठाये गये बिन्दुओं की ताईद करते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थी के पक्ष में जारी किया गया आक्षेपीय पट्टा न्याय, नियम व रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि तत्कालीन प्रशासक द्वारा दिनांक 13.05.1993

अपर कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

को खसरा नम्बर 1865/2 में पट्टा जारी करने का कोई विधिक अधिकार नहीं था। वरवक्त विक्रय विवादित भूमि चरागाह भूमि थी। जिला कलक्टर अजमेर के आदेश क्रमांक राजस्व/प्र.गां.के.स./2001/3485/243 दिनांक 20.06.2002 एवं संशोधित आदेश क्रमांक 50 दिनांक 21.07.2003 के द्वारा खसरा नम्बर 1865/2 रकबा 66 बीघा 7 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन छापर चरागाह में से 10 बीघा भूमि सिवायचक में परिवर्तित करते हुए आबादी विस्तार हेतु ग्राम पंचायत छोटा लाम्बा के लिए आरक्षित की गई। उक्त आदेश के पूर्व आक्षेपीय पट्टे से संबंधित भूमि ग्राम पंचायत में नीहित नहीं होने के अतिरिक्त चरागाह भूमि होने के कारण आक्षेपीय पट्टा जारी करने के अधिकार ग्राम पंचायत के प्रशासक को कतई नहीं थे। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस जारी रखते हुए आगे कथन किया कि ग्राम पंचायत छोटा लाम्बा के प्रस्ताव संख्या 4 दिनांक 05.11.2003 से पट्टे का नियमितिकरण किया जाकर आक्षेपीय पट्टे के पीछे टिप्पणी अंकित की, जिसका दिनांक 16.03.2004 को उपपंजीयक किशनगढ़ के समक्ष पंजीयन करवाया गया। उक्त नियमितिकरण का कोई अधिकार ग्राम पंचायत को नहीं था। आक्षेपीय पट्टा प्रारंभ से ही विधि विरूद्व होने से प्रभाव शून्य था। वकील प्रार्थी ने कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय किशनगढ़ में दीवानी वाद संख्या 146/2004 दायर किया जिसमें विवादित भूमि दिनांक 01.10.1990 को क्रय की जाकर उसी दिवस को कब्जा प्राप्त होना अंकित किया है जबकि उक्त दिवस को विवादित भूमि सिवायचक चरागाह दर्ज थी जिसको बेचान व क्रय का अधिकार न तो क्रेता को था न ही ग्राम पंचायत को था। अन्त में उन्होंने कथन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार कर आक्षेपीय पट्टा व उससे संबंधित ग्राम पंचायत छोटा लाम्बा के प्रस्ताव संख्या 4 दिनांक 05.11.2003 से पट्टे का नियमितिकरण आदेश निरस्त किया जावे।

हालांकि वरवक्त बहस वकील अप्रार्थी उपस्थित नहीं थे किन्तु न्यायहित में उनके द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। वकील अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि अप्रार्थी द्वारा वर्ष 1987–88 में विवादित भूमि पर बाड़ा बना कर कब्जा किया गया था तथा उनके विरूद्व धारा 91 के तहत दो वर्ष तक जुर्माना आरोपित किया गया। वर्ष 1989 में ग्राम पंचायत द्वारा विवादित खसरा नम्बर की भूमि पर पट्टा जारी किये जाने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। अप्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत द्वारा समस्त विधिक प्रक्रिया पूर्ण कर अप्रार्थी के कब्जेशुद्वा भूखण्ड पर दिनांक 13.05.1993 को आक्षेपीय पट्टा जारी किया गया। उन्होंने यह भी अंकित किया है कि विवादित खसरा नम्बर पर उनके अतिरिक्त अन्य 20–25 व्यक्तियों के पक्ष में पट्टे जारी किये है। अप्रार्थी द्वारा क्रयशुद्वा भूखण्ड के चारो ओर कांटों की बाड़ लगा कर चारदीवारी कमरा, जल बोरिंग, विद्युत कनेक्शन, पौधार्पण आदि कर विवादित भूखण्ड का उपयोग व उपभोग प्रारंभ किया। उन्होंने यह भी अंकित किया है कि माननीय जिला कलक्टर महोदय द्वारा अपने आदेश दिनांक 20.02.2002 के द्वारा विवादित खसरा नम्बर में से आबादी से लगती हुई 10 बीघा भूमि को चरागाह से खारिज कर सिवायचक में परिवर्तित किये जाने के आदेश पारित करने के पश्चात् आबादी विस्तार हेतु आरक्षित कर दी गई। अप्रार्थी विवादित खसरा नम्बर के तीसरे भाग खसरा नम्बर 1865/2/3 पर काबिज है। अप्रार्थी ने आगे अंकित किया है कि ग्राम पंचायत छोटा लाम्बा ने अपनी बैठक दिनांक 05.10.2003 में निर्णय लिया कि अप्रार्थी के आवेदन पत्र आबादी भूमि खसरा नम्बर 1865/2 में दिनांक 13.05.1993 को भूमि विक्रय विलेख पट्टा संख्या 10 जारी किया गया था, चूंकि उक्त खसरा नम्बर तत्समय चरागाह में था, परन्तु प्रशासन द्वारा

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर

अपर कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

विवादित भूमि को आबादी में परिवर्तित किया जा चुका है। अतः विचार विमर्श किया जाकर निर्णय लिया कि विवादित भूमि की मौका रिपोर्ट प्राप्त की जाकर नियमितिकरण शुल्क प्राप्त करने के पश्चात् नियमानुसार कार्यवाही की जावे। इस प्रकार पूर्ण विधिक प्रक्रिया पश्चात् दिनांक 16.03.2004 को सरपंच ग्राम पंचायत छोटा लाम्बा ने अप्रार्थी के पक्ष में आक्षेपीय पट्टे का पंजीयन करवाया है। उन्होंने यह भी अंकित किया कि शिकायतकर्ता भोमसिंह द्वारा राजनैतिक द्वेषतावश तत्कालीन तहसीलदार को शिकायत की गई किन्तु मौका निरीक्षण पश्चात् शिकायत झूठी पायी गई। शिकायतकर्ता द्वारा अप्रार्थी को लगातार परेशान करने के कारण अप्रार्थी द्वारा एक दीवानी वाद संख्या 146/2004 सिविल न्यायाधीश (क.ख.) किशनगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसका निर्णय दिनांक 04.03.2008 को अप्रार्थी के पक्ष में दावा डिक्री किया गया। अन्त में उन्होंने अंकित किया है कि आक्षेपीय पट्टा पंजीकृत दस्तावेज है जिसे निरस्त किये जाने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को न होकर सिविल न्यायालय को है, तथा प्रार्थी को निगरानी पेश करने का कोई विधिक अधिकार भी नहीं है। अतः निगरानी याचिका निरस्त की जावे।

हमने वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी के पक्ष में दिनांक 13.05.1993 को प्रशासक ग्राम पंचायत छोटा लाम्बा द्वारा पट्टा संख्या 10 जारी किया गया है। तत्समय खसरा नम्बर 1865/2 आबादी विस्तार हेतु आरक्षित न होकर चरागाह में दर्ज था। चरागाह में किसी भी व्यक्ति के पक्ष में पट्टा जारी करने का अधिकार ग्राम पंचायत को नहीं था। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि विवादित भूमि श्रीमान् जिला कलक्टर अजमेर द्वारा दिनांक 21.07.2003 को ग्राम पंचायत छोटा लाम्बा के आबादी विस्तार हेतु आरक्षित की गई है। प्रशासक ग्राम पंचायत छोटा लाम्बा द्वारा अप्रार्थी के पक्ष में 11859 वर्गगज भूमि का आक्षेपीय पट्टा जारी किया गया है जो राजस्थान पंचायती राज नियमों में दिये गये प्रावधानों के विपरीत है। हालांकि आक्षेपीय पट्टे से संबंधित मूल रेकार्ड ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया है किन्तु अप्रार्थी द्वारा भी इस संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति भी दर्ज नहीं करवाई गई है।

उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार कर अप्रार्थी के पक्ष में जारी आक्षेपीय पट्टा संख्या 10 दिनांक 13.05.1993 निरस्त किया जाकर ग्राम पंचायत छोटा लाम्बा को आदेशित किया जाता है कि अप्रार्थी द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर राजस्थानी पंचायती राज अधिनियम 1994 में प्राविधित प्रावधानों के अन्तर्गत पूर्ण विधिक प्रक्रिया पश्चात् नियमानुसार सीमित क्षेत्रफल भूमि का आवासीय पट्टा जारी करे तथा आक्षेपीय पट्टे के पंजीयन निरस्तीकरण हेतु सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करें।

आदेश आज दिनांक 25.05.2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

(किशोर कुमार)
अपर कलेक्टर, अजमेर
अपर कलक्टर, अजमेर

Scanned by CamScanner